न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 140/2019
GCMS NO. : 2019/00165

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगणः–

1. गणपतलाल पुत्र भंवरूराम
2. हेमाराम पुत्र भंवरूराम
3. देवाराम पुत्र भंवरूराम
4. पुखराम पुत्र शिवलाल
5. हरजीराम पुत्र शंकरलाल
6. बक्षाराम पुत्र शंकरलाल
7. जगदीश पुत्र शंकरलाल
8. समन्दर पुत्र शंकरलाल
9. मोतीराम पुत्र पीराराम
10. लिखमाराम पुत्र पीराराम के का.मु.
    10/1 प्रकाश पुत्र लिखमाराम
    10/2 मुकेश पुत्र लिखमाराम
    10/3 मुतराई बेवा लिखमाराम
11. इन्द्राराम पुत्र पीराराम
12. सुगनाराम पुत्र दयालराम
13. धाराराम पुत्र दयालराम
14. भीयाराम पुत्र दयालराम
15. शिम्भुराम पुत्र दयालराम
16. बचनाराम पुत्र शिवराम फौत के का.मु.
    16/1 सीता बेवा बचनाराम
    16/2 श्यामुदेवी पुत्री बचनाराम
    16/3 जैना पुत्री बचनाराम
    16/4 धर्माराम पुत्र बचनारामके का.मु.
        16/4/1 शांति बेवा धर्माराम
        16/4/2 रेखा पुत्री धर्माराम
        16/4/3 सुरेश पुत्र धर्माराम
        16/4/4 नीरू पुत्री धर्माराम
        16/4/5 अशोक पुत्री धर्माराम
    16/5 पप्पू उर्फ मूलाराम पुत्र बचनाराम के का.मु.
        16/5/1 गीता देवी बेवा पप्पू उर्फ मूलाराम
        16/5/2 पुजा पुत्री पप्पू उर्फ मूलाराम
        16/5/3 बेबी पुत्री पप्पू उर्फ मूलाराम
17. हाथीराम पुत्र शिवराम
18. मांगूराम पुत्र भेराराम
19. दुगीराम पुत्र भेराराम
20. बाबूलाल पुत्र भेराराम सभी जातियान माली निवासी लिलरिया (आ.कालू) तहसील जैतारण जिला पाली।

प्रतिवादीगणः–

1. गुलाबचन्द पुत्र पुखराज
2. चम्पालाल पुत्र बखतारवरमल जाति महाजन निवासी आ. कालू तहसील–जैतारण जिला–पाली।
3. तहसीलदार साहब जैतारण तहसील–जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तारीख रजूः.11/07/2019

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

उपस्थितः–

1. श्री पुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30/06/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा लिलरिया (आ.कालू) चक नम्बर-एक में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन निम्न खसरान् की आई हुई है-खसरा नम्बर 130 रकबा 01-11बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 01-09 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 05-11 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 01-16 बीघा, खसरा नम्बर 134 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 01-00 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03-03 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 02-14 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 03-05 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 01-17 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 02-15 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 00-16 बीघा सभी किस्म-चाही सोयम, खसरा नम्बर 137 रकबा 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 165 रकबा 01-06 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 158 रकबा 01-13 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 00-08 बीघा सभी किस्म गैर मुमकिन कुल खसरान् 18 कुल रकबा 33-08 बीघा। उपरोक्त खसरान् की भूमि पर वादीगण के पूर्वज वक्त सेटलमेंट के पहले से सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा व काश्त करते आ रहे थे बाद में वादीगण सभी अपने अपने हिस्से अनुसार सम्पूर्ण भूमि पर शांति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पूर्वजो के समय से सेटलमेंट के पहले से खसरा नम्बर 161 में कुआं खुदा हुआ था जिससे जमीन की पिलाई करते थे उक्त जमीन की किस्म भी सेटलमेंट के समय से चाही सोयम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 158 गैर मुमकिन आबादी होने से वक्त सेटलमेंट के पहले से वादीगण के पूर्वजो के रहवासी मकान बने हुए है वर्तमान में वादीगण इसी जमीन में काश्त करते आ रहे है वादीगण के अलावा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई ह़क हिस्सा, अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलत से 1/2 हिस्से में दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या एक व दो ग्राम आ.कालू में कभी नहीं रहे और न गुलाबचन्द व चम्पालाल के नाम के व्यक्ति है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने से आज तक प्रतिवादी संख्या एक व दो का नाम चल रहा है ग्राम आ.कालू में इस नाम के कोई व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। दावे के पद संख्या एक में बताई गई मुतनाजा सम्पूर्ण जमीन पर वादीगण का पिछले 70 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से चला आ

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

रहा है यानि प्रतिवादी संख्या एक व दो उक्त मुतनाजा जमीन के 1/2 हिस्से से आउट ऑफ पजेशन होने से वादीगण का एकवर्दा पजेशन लम्बे समय से चला आ रहा है वादीगण सम्पूर्ण भूमि पर पिछले 70 वर्षों से सुधार करवाकर उपजाऊ बनाया है तथा मेड़बन्दी करवाई है और कुए से पिलाई करते आ रहे है वादीगण 1/2 हिस्से के सेटलमेन्ट से खातेदार काश्तकार है तथा 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या एक व दो का नाम गलत इन्द्राज होने से व उनका कब्जा काश्त नहीं होने से से प्रतिवादीगण संख्या एक व दो की जगह वादीगण को मुतनाजा सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है। यानि उक्त मुतनाजा सम्पूर्ण भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ताकि वादीगण उक्त भूमि पर बैंक से ऋण लेकर भूमि को उपजाऊ बना सकें। भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा लघु व सीमान्त काश्तकारों को सहायता देने के लिए घोषणा करने पर वादीगण ने मुतनाजा जमीन की खातेदारी की नकले तहसील कार्यालय से प्राप्त करने पर प्रथम बार ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है वादीगण ग्राम लिलरिया के रहने वाले अनपढ़ काश्तकार होने से गलत इन्द्राज का ज्ञान नहीं था अब सर्व प्रथम मालुम पड़ने पर जमाबन्दी की नकले लेकर वास्ते घोषणा का दावा पेश किया जा रहा है वादीगण का लम्बे समय से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने से स्वतः ही खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी हैं। इसलिए वादीगण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। मुतनाजा भूमि के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने से वादीगण के हक हकूको पर बुरा असर पड़ रहा है तथा वादीगण द्वारा मौके पर संयुक्त काश्त करते है जब तक प्रतिवादी संख्या- एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड से नहीं हटाया जाता तब तक आपस में बंटवाड़ा भी नहीं हो सकता इसलिए वादीगण को उक्त मुतनाजा सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है जब तक वादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जाता तब तक वादीगण राज्य सरकार से कोई भी सरकारी योजनाऐ का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावें वादी संख्या 12 से 15 के साथ वादी संख्या - 16 व 17 को खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाना जंरूरी है क्योकि वादी संख्या - 12 से 17 तक एक ही वंशज की सन्तान हैं। एवं प्रतिवादी संख्या - एक व दो के नाम कोई व्यक्ति ग्राम आ.कालू में नहीं है यदि कोई अजनवी व्यक्ति कुटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या-एक व दो के नाम की सम्पति की आराजी को गलत तरीके से अपने नाम इन्द्राज करवाते है या किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करते है या वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेगे तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादीगण अपने जायज अधिकारों से महरूम हो जायेगे व मौके पर लड़ाई झगड़े होगे इसलिए प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाना जरूरी हैं। प्रतिवादी संख्या तीन तहसीलदार लैण्ड

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

होल्डर होने से व राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 18-6-2019 व 19-6-2019 को जिला कलेक्टर पाली व तहसील कार्यालय से खतोनी बन्दोबस्त व जमाबन्दी की नकले लेने पर बमुकाम लिलरिया में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर मयाद पेश हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 02 बावजूद सम्मन अखबार सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करनें के कारण प्रकरण में वांछित अनुतोष का कानूनी पहलुओं एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर उनका विवेचन करते हुए वाद का निर्णयन किया जाना ही विकल्प है। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी सुगनाराम, वादी पुखराज, वादी मांगूराम, वादी मोतीराम के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए जो सा.मि. है। शपथ पत्र पर प्रदर्श कराये गये। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता वादी पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लिलरिया आनन्दपुर कालू चक प्रथम में स्थित वादग्रस्त आराजी -खसरा नम्बर 130 रकबा 01-11बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 01-09 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 05-11 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 01-16 बीघा, खसरा नम्बर 134 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 01-00 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03-03 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 02-14 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 03-05 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 01-17 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 02-15 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 00-16 बीघा सभी किस्म- चाही सोयम, खसरा नम्बर 137 रकबा 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 165 रकबा 01-06 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 158 रकबा 01-13 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 00-08 बीघा सभी किस्म गैर मुमकिन कुल खसरान् 18 कुल रकबा 33-08 बीघा वादीगण की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। जिस पर वादीगण के पूर्वज वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई हिस्सा व अधिकार नही होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में सेटलमेंट अधिकारियो की गलती से गलत रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि गुलाबचंद व चम्पालाल नाम का कोई व्यक्ति नही है। केवल रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज चल रहा है। जिन्हे राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना आवश्यक है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर पिछले 70 वर्षो से लगातार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible]रण, जिला-पाली

कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा एवं न ही उनके नाम का कोई व्यक्ति है। अतः वादीगण का एडवर्ड पजेशन भी पिछले 70 वर्षो से चला आ रहा है। इस कारण भी वादीगण स्वतः सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुके है।

2. प्रतिवादीगण के भू अभिलेख में दर्ज पते पर तामिल रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति गांव में निवास नही करते है, लिहाजा प्रतिवादीगण की तामिल जरिए अखबार छाया करवाई गई। इसके बावजूद प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन अदालत हाजा में उपस्थित नही आने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वादी में वादी सुगनाराम पुत्र दयालराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.1, वादी पुखाराम पुत्र शिवलाल का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.2, वादी मांगूराम पुत्र भैराराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.3, वादी मोतीराम पुत्र पीराराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.4 प्रस्तुत किया गया। गवाहान ने अपने शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित कथनो एवं तथ्यो का समर्थन किया।

4. वादग्रस्त आराजी की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 प्रदर्श-7 में रावत वल्द धन्ना 1/4 दयाल वल्द शिवराम भैरा वल्द पूना 1/4, हिस्सा बराबर कौम माली सा. देह गुलाबचंद वल्द पुखराज चम्पालाल वल्द बख्तावरमल हिस्सा 1/2 दर्ज किया। वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श-1 में वादीगण 1/2 हिस्से के साथ गुलाबचंद पुत्र पुखराज व चम्पालाल वल्द बख्तावरमल हिस्सा 1/2 दर्ज है। इस प्रकार भू प्रबन्ध के पश्चात से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम भू अभिलेख में यथावत् दर्ज रहा है। तथा फौतेदगी आदि किसी प्रकार की नामान्तरण की कोई कार्यवाही नही हुई है। वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरवारी संवत् 2010 से 2013 प्रदर्श-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2016 प्रदर्श-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, में वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पूर्वजो जो कि तत्समय खातेदार दर्ज रहे है, द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा काश्त किया जाना अंकित नही है। भू प्रबन्ध पूर्व अर्थात संवत् 2010 में भी वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा काश्त किया जाना अंकित नही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का वादग्रस्त आराजी पर भू प्रबन्ध पूर्व से भू प्रबन्ध के दौरान व भू प्रबन्ध पश्चात से वर्तमान तक कभी कब्जा काश्त नही रहा। उपलब्ध अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कभी भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम खुदकाश्त आराजी नही रही है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खुदकाश्त आराजी को छोड़कर शेष ऐसी आराजी/भू सम्पति जिसका स्वामी कोई ओर व्यक्ति हो लेकिन उस पर काश्त किसी अन्य काश्तकार द्वारा की जा रही हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होने के साथ ही ऐसा काश्तकार उक्त जोत का अभिलिखित खातेदार हो जाता है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के वादीगण के पूर्वज भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान ही सम्पूर्ण भाग के खातेदार काश्तकार हो चूके थे तथा प्रतिवादी संख्या 01 व

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला पाली

02 का वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज नाम त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियो की श्रेणी में आता है जो विलोपन योग्य है। अतः उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम की प्रविष्टियो को विलोपित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान से स्वीकार किया जाता है। ग्राम लिलरिया आनन्दपुर कालू चक प्रथम में स्थित वादग्रस्त आराजी –खसरा नम्बर 130 रकबा 01–11बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 01–09 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 05–11 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 01–16 बीघा, खसरा नम्बर 134 रकबा 01–02 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 01–00 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 00–14 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03–03 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 02–14 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 03–05 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 01–17 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 02–15 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 00–16 बीघा सभी किस्म– चाही सोयम, खसरा नम्बर 137 रकबा 01–04 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 01–04 बीघा, खसरा नम्बर 165 रकबा 01–06 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 158 रकबा 01–13 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 00–08 बीघा सभी किस्म गैर मुमकिन कुल खसरान् 18 कुल रकबा 33–08 बीघा के भू अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम की दर्ज प्रविष्टियां विलोपित करते हुए इनके नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा में से खतौनी बंदोबस्त में दर्ज हिस्सानुसार 1/2 भाग रावत वल्द धन्ना के वारीसान एवं शेष 1/2 भाग दयाल वल्द शिवराम एवं भैरा वल्द पुना के वारीसान के हिस्से में शामिल किया जावे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अजलास अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
रूबरूईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगणः-

वादीगण:

1. गणपतलाल पुत्र भंवरूराम
2. हेमाराम पुत्र भंवरूराम
3. देवाराम पुत्र भंवरूराम
4. पुखराम पुत्र शिवलाल
5. हरजीराम पुत्र शंकरलाल
6. बक्षाराम पुत्र शंकरलाल
7. जगदीश पुत्र शंकरलाल
8. समन्दर पुत्र शंकरलाल
9. मोतीराम पुत्र पीराराम
10. लिखमाराम पुत्र पीराराम के का.मु.
    10/1 प्रकाश पुत्र लिखमाराम
    10/2 मुकेश पुत्र लिखमाराम
    10/3 मुतराई बेवा लिखमाराम
11. इन्द्राराम पुत्र पीराराम
12. सुगनाराम पुत्र दयालराम
13. धाराराम पुत्र दयालराम
14. भीयाराम पुत्र दयालराम
15. शिम्भुराम पुत्र दयालराम
16. बचनाराम. पुत्र शिवराम फौत के का.मु..
    16/1 सीता बेवा बचनाराम
    16/2 श्यामुदेवी पुत्री बचनाराम
    16/3 जैना पुत्री बचनाराम
    16/4 धर्माराम पुत्र बचनारामके का.मु.
        16/4/1 शांति बेवा धर्माराम
        16/4/2 रेखा पुत्री धर्माराम
        16/4/3 सुरेश पुत्र धर्माराम
        16/4/4 नीरू पुत्री धर्माराम
        16/4/5 अशोक पुत्री धर्माराम
    16/5 पप्पू उर्फ मूलाराम पुत्र बचनाराम के का.मु.
        16/5/1 गीता देवी बेवा पप्पू उर्फ मूलाराम
        16/5/2 पुजा पुत्री पप्पू उर्फ मूलाराम
        16/5/3 बेबी पुत्री पप्पू उर्फ मूलाराम
17. हाथीराम पुत्र शिवराम
18. मांगूराम पुत्र भेराराम
19. दुगीराम पुत्र भेराराम
20. बाबूलाल पुत्र भेराराम सभी जातियान माली निवासी लिलरिया (आ.कालू) तहसील जैतारण जिला पाली।

प्रतिवादीगण:

1. गुलाबचन्द पुत्र पुखराज
2. चम्पालाल पुत्र बखतारवरमल जाति महाजन निवासी आ.कालू तहसील-जैतारण जिला-पाली।
3. तहसीलदार साहब जैतारण तहसील-जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

मु०न० :रा०वा० स०:140/2019

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ हाजरी श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान से स्वीकार किया जाता है। ग्राम लिलरिया आनन्दपुर कालू चक प्रथम में स्थित वादग्रस्त आराजी -खसरा नम्बर 130 रकबा 01-11बीघा, खसरा नम्बर 131 रकबा 01-09 बीघा, खसरा नम्बर 132 रकबा 05-11 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 01-16 बीघा, खसरा नम्बर 134 रकबा 01-02 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 01-00 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 00-14 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03-03 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 02-14 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 03-05 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 01-17 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 02-15 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 00-16 बीघा सभी किस्म- चाही सोयम, खसरा नम्बर 137 रकबा 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 165 रकबा 01-06 बीघा सभी किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 158 रकबा 01-13 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 00-08 बीघा सभी किस्म गैर मुमकिन कुल खसरान् 18 कुल रकबा 33-08 बीघा के भू अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम की दर्ज प्रविष्टियां विलोपित करते हुए इनके नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा में से खतौनी बंदोबस्त में दर्ज हिस्सानुसार 1/2 भाग रावत वल्द धन्ना के वारीसान एवं शेष 1/2 भाग दयाल वल्द शिवराम एवं भैरा वल्द पुना के वारीसान के हिस्से में शामिल किया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/06/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण, जिला-पाली

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	06-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	12-00	मिजानः-	— Nil —

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।